

19/12/22

पतावली पेवा हुई। अधि: वादी मय वादी अनुपास्थित।
वादी को सूचना दिये जाने के बावजूद भी वादी अनुपास्थित हैं।
आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5 PM हो चुका है।
अतः वादी मय अधिवक्ता द्वारा अनुपास्थित रहने पर वादी
का वाद अदम हाजरी / अदम पेशी में खारिज किया
जाता है। पतावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

